प्रपोजल सं0 एफपी/यूपी/रोड/30569/2017

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

पत्रांकः– 587/मी0क्षे0/33/ दिनांक मीरजापुर, जून 15 ,2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय– जनपद–मीरजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 (वाराणसी–हनुमना सेक्सन) कि0मी0 संख्या 49.500 से कि0मी0 संख्या 140.200 तक के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875है0 आरक्षित एवं 113.63..है0 संरक्षित कुल 131.0175है0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 10473 वृक्षों के पातन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव।

सन्दर्भ– प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर का पत्रांक 5130/मी0/15 दिनांक 30.05.2018 तथा पत्रांक 5209/मी0/15 दिनांक 04.06.2018

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद–मीरजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 (वाराणसी–हनुमना सेक्सन) कि0मी0 संख्या 49.500 से कि0मी0 संख्या 140.200 तक के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875है0 आरक्षित एवं 113.63..है0 संरक्षित कुल 131.0175है0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 10473 वृक्षों के पातन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव जिसकी ऑन लाइन सबमिशन संख्या एफ0पी0/यू0पी0/रोड/30569/2017 है। प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव की परीक्षणोपरान्त भाग–2 से सम्बन्धित विवरण पूर्ण कर अपेक्षित सूचनाओं सहित भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के गाइड लाइन के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर मय संस्तुति सहित प्रस्ताव पॉच प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव की इस स्तर से भाग–3 पूर्ण कर मय निरीक्षण रिपोर्ट के प्रस्ताव चार प्रतियों में एतद्सह सलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत के संबंध में किसी भी दशा में वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने पावें।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

भाग – 3

(वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

14	स्थल जहाँ वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नही) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ (दिनांक 08-06-2018) (संलग्न है)
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16	प्रस्ताव के स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशे।	स्वीकृत हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि : 15-06-2018

स्थान : मीरजापुर

हस्ताक्षर

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

निरीक्षण रिपोर्ट

मीरजापुर वन प्रभाग अर्न्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 (वाराणसी–हनुमना सेक्सन) कि0मी0 संख्या 49.500 से कि0मी0 संख्या 140.200 तक सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे0 आरक्षित एवं 113.6300हे0 संरक्षित कुल 131.0175 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत अनुमति के सम्बन्ध में निरीक्षण टिप्पणी।

दिनांक 08.06.2018 को अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण समय निम्न अधिकारी उपस्थित रहे।

1 श्री पी0सी0सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर ।

2 श्री आर0 बी0 यादव,क्षेत्रीय वन अधिकारी, विढमफाल ।

3, श्री आर0के0 यादव, क्षेत्रीय वन अधिकारी, लालगंज ।

4 श्री एस0पी0सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, ड्रमण्डगंज ।

5 श्री के0सी0 वर्मा, प्रबन्धक तकनीकी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी।

निरीक्षण के दौरान निम्न स्थिति पायी गयी।

1 प्रस्तावक विभाग के प्रबन्धक तकनीकी द्वारा अवगत कराया गया कि कि0मी0 संख्या 93 पर प्रतिदिन आने जाने वाले ट्राफिक की संख्या वर्तमान में 12,343 (PCU) है जो काफी अधिक है जिस हेतु मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है।

2 प्रस्ताव में उल्लिखित कि0मी0 संख्या 49.500 से कि0मी0 संख्या 140.200 मीरजापुर वन प्रभाग के डगमगपुर से प्रारम्भ होकर हनुमना तक है।

3 प्रस्ताव में विभिन्न प्रजाति के 10,473 वृक्ष जो राजमार्ग के बायी तथा दायी पटरी पर अवस्थित है जिसे फोर लेन चौड़ीकरण के लिए पातन हेतु चिन्हित किया गया है।

4 क्षेत्रीय वन अधिकारी लालगंज द्वारा अवगत कराया गया कि लालगंज रेन्ज अर्न्तगत निम्न विवरण अनुसार वर्ष–2012–13 से 2014–15 तक किये गये निम्न वृक्षारोपण भी प्रभावित हो रहे हैं जो उक्त चिन्हीकरण मे सम्मिलित नहीं है।

कम सख्या	रेंज का नाम	रोपावनी का नाम	क्षेत्रफल हे0में	रोपावनी वर्ष
1	2	3	4	5
1	लालगंज	मीरजापुर–रीवामार्ग कि0मी0 12–13 (हरित पट्टीका)	2.00	2012–13
2	—"—	—"— —"— 13–18 (एफ0डी0)	10.00	2013–14
3	—"—	—"— —"–18–20(हरितपट्टी रा0सें0)	3.00	2013–14
4	—"—	—"— —"— 21–23(——"——)	2.00	2014–15

5. क्षेत्रीय वन अधिकारी लालगंज द्वारा अवगत कराया गया कि लालगंज रेंज अन्तर्गत करनपुर वीट में बने ब्रिक गार्ड कि0मी0 संख्या –84 से 90 दायी पटरी पर इमली प्रजाति के 222 वृक्ष तथा बायी पटरी कि0मी0 संख्या 84 से 90 तक इमली प्रजाति के 155 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जो वर्ष 2007 रोपण के हैं जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर Translocate किया जाना उचित होगा।

6. प्रश्नगत प्रस्ताव से सम्बन्धित राजमार्ग पर प्रस्तावक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया।

(डा0 प्रभाकर दूबे) 8/6/18
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर